न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–271 सन् 2000

श्रीकान्त सिंह....................वादी

बनाम
मु0 पुलिया देवी वगैरह.............................प्रतिवादी।

दिनांक–13.05.2025

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 03 दफा 151 सी0 पी0 सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 11.02.2025 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि इस वाद के एक मात्र वादी श्रीकान्त सिंह की मृत्यु दिनांक–19.01.2025 को हुई है। श्रीकान्त सिंह के मरने के बाद पत्नी, एक लड़की और दो लड़का जो उनके वारिशान है, जो उनके मरने के बाद उनके जायज कानूनी वारिश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि स्व0 श्रीकान्त सिंह के वारिशान को इस मुकदमा में पार्टी बनाया जाये कि न्याय हो सके।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी श्रीकांत सिंह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 19.01.2025 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में वादी श्रीकांत सिंह के नाम वादपत्र से कलमजद करना तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ समय से दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 13.05.2025 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक...............को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, द्वितीय
सोनपुर, सारण।